उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

ज्ञापांक : 1072/जि०ग्रा० **रामगढ़, दिनांक : 27/10/2020**

दिनांक 29/09/2020 को उपायुक्त, रामगढ़ की अध्यक्षता में ''महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)'' अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद पर नियुक्ति हेतु सम्पन्न नियुक्ति समिति की बैठक की कार्यवाही : –

दिनांक 29/09/2020 को ''**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)**'' अन्तर्गत तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदित पद के आलोक में नियुक्ति समिति के सदस्य उपस्थित हुए।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

शैक्षणिक योग्यता (तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)) : – सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की संकल्प संख्या– 4729 दिनांक 04/06/2007 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निम्न है :–

तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**क. अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। **ख. अतिरिक्त योग्यता :–** A. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय मे बी0टेक0/बी0ई0,बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। B. बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। C. एम०सी०ए०/एम०एम०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) हेतु रिक्त पदों की विवरणी –

Sl	Post	Vacant Seat	Gen.	BC I	BC II	ST	SC
1	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	16	09	02	01	02	02

प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या – 273

रामगढ़ जिला से प्राप्त आवेदन – 178

अन्य से प्राप्त आवेदन – 95

उपरोक्त आवेदित पद तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा वांछित अनिवार्य योग्यता एवं अतिरिक्त योग्यता के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक योग्यता आवेदन पत्र में संलग्न किये है उस विषय पर नियुक्ति समिति द्वारा मान्य/अमान्य किया गया जा निम्न हैः–

मान्य शैक्षणिक योग्यता :– 1. B.Tech(Civil) 2. B.E in (Civil).

अमान्य शैक्षणिक योग्यता :– 1. Not Diploma/B.Tech/B.E in Civil.

अपर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त, झारखण्ड़ सराकार के पत्रांक 1187 दिनांक 01.03.2017 के आलोक में नियुक्ति समिति के द्वारा निर्णय लिया गया की वैसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता मात्र B.Tech/B.E in Civil Eng. की आर्हता रखते हुए आवेदन समर्पित किये है उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में मान्य किया गया।

नियुक्ति समिति द्वारा तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जो निम्न है –

- आवेदनकर्त्ता का Caste Certificate/Local Residence Certificate जमा करने के लिए 10(दस) दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता एवं अतिरिक्त योग्यता का अंक प्रमाण पत्र जमा नहीं किये है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए जमा करने के लिए 10(दस) दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
- रामगढ़ जिला को छोड़कर अन्य जिलों से प्राप्त आवेदन स्वतः रदद् माना जायेगा।
- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र में कोटि अंकित नहीं किया है उसे समान्य कोटि में अंकित किया जायेगा।
- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र पर अंकित कोटि तथा संलग्न आरक्षित प्रमाण पत्र में भिन्नता है उसे अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आरक्षण पर दावा करने से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में जमा करेंगें। तत्पश्चात प्राप्त आवेदन के आलोक में मूल कोटि में शामिल किया जायेगा। अन्यथा अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि में शामिल किया जायेगा।
- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र दिनांक 02.06.2018 के बाद की माँग की गयी थी, जिसे नियुक्ति समिति द्वारा निर्धारित तिथि के पुर्व एवं निर्धारित तिथि के बाद निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र को भी मान्य किया गया। वैसे अभ्यर्थी जिनका स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें जमा करने के लिए 10(दस) दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। उसके बाद भी अगर कोई अभ्यर्थी द्वारा स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र जमा नही किया जायेगा तो उनके आवेदन को निरस्त समझा जायेगा।
- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता का अंक प्रमाण पत्र CGPA/Grade Point के रूप में संलग्न किये है वे संबंधित संस्थान का प्रतिशत के रूप में परिवर्तित प्रमाण पत्र समर्पित करेगें।
- वैसे अभ्यर्थी जिनका शपथ–पत्र आवेदन के साथ समर्पित नहीं है उन्हें भी नियुक्ति हेतु मान्य किया गया है।
- अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा समर्पित आवेदन पत्र/कागजात स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
उपायुक्त,
रामगढ़।